

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 15 जनवरी 2024 सोमवार

सम्पादकीय

कड़ाके की ठंड

कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने से घना कोहरा छाया रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान शीतलहर से गंभीर शीतलहर की संभावना जताई गई है। उसके बाद इससे राहत मिलेगी। उत्तर भारत में दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान बढ़ने वाला है और दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अभी कुछ महीने पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस साल ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। अब पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड में कंपकंपा रहा है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, और डॉक्टर सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी मौसम जग अपनी अति पर पहुंचता है, तो उसकी सबसे ज्यादा मार उस तक के पर पड़ती है, जो आम दिनों में भी अपने जीवन-यापन के संसाधन पूरी तरह नहीं जुटा पाता। ऐसे में, मौसम की अति गरीब तबके के लिए एक आफत की तरह होती है।

तीन दिन पहले ही कानपुर का एक झड़कोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मजदूर बुजुर्ग को जब भीषण सर्दी से बचने का कोई तरीका नहीं मिला, तो वह रमशान घाट में जल रही चिताओं के बीच जाकर सो गए। यह वीडियो उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बारे में तो बताता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि ठंड जल बढ़ती है, तब समाज को किन त्रासदियों से गुजरना पड़ता है। खासकर उन लोगों को, जिनके पास कोई छत नहीं है और बचाव की सुविधाएं बेरहम अपर्याप्त हैं। इसे हम राजधानी दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। यहां पर विभिन्न सरकारों ने रैन बसेरों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। दिल्ली में कुल 195 रैन बसेरें हैं, जिनमें करीब 19 हजार बेघर लोग सर्दी से बचने के लिए शरण ले सकते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? साल 2011 की जनगणना के हिसाब से ही दिल्ली में 47 हजार लोग बेघर थे। तब से अब तक यह संख्या बढ़ी ही होगी। कई समाजसेवियों का अनुमान है कि राजधानी में डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हैं। अगर हम 2011 के आंकड़े को ही सही मान लें, तब भी बेघरों का ज्यादा बड़ा हिस्सा फुटपाथों, बस अड्डों और रेलवे जंक्शनों पर फटी-चिथड़ी रफायाओं ओकरकर सोने को मजबूर हैं। बेघर गरीब शीत लहर के प्रकोप से बच सकें, इसके लिए पहले जगह-जगह अलाव जलाए जाते थे। अब भी कुछ जगहों पर जलाए जाते हैं, लेकिन ठीक इसी मौसम में दिल्ली का प्रदूषण चरम पर होता है और ज्यादा अलाव जले, तो वे इस समस्या को जटिल ही बनाएंगे। खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें अपना जीवन सड़कों पर ही बिताना पड़ता है। इस समस्या को हम एक अन्य तरह से भी समझ सकते हैं। हर साल शीत लहर का शिकार बनने वाले लोगों की खबरें हिमाचल जैसे ठंडे पहाड़ी प्रदेशों से उठनी नहीं आतीं, जितनी वे अपेक्षाकृत कम ठंडे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, शहरों और कस्बों से आती हैं।

जिस समय हम इस सर्दी को लेकर परेशान हैं, पर्वतीय इलाकों की अपनी अलग चिंताएं हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक में इस बार भीषण सर्दी के बावजूद ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। पर्वतीय इलाकों में इसको लोग सूखी ठंड कहते हैं, जो वहां के बाशिंदों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होती है और सेब जैसी फसलों को लिए भी बुरा खबर होती है। यह मौसम की एक अलग तरह की अति है। दिक्कत यह है कि कठिन समय गुजरते ही हम हर बार फिर से पर्यावरण और समाज की त्रासदियों और चुनौतियों को लेकर भयंकराह हो जाते हैं। जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, दुनिया भर में मौसम की अति भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह बेपरवाही शीत लहर से ज्यादा घातक हो सकती है। ठंड में अपना बचाव करने के साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करें।

अन्धेरे के बीच रोशनी की किरन

—पी. चिदम्बरम—

विलकिस बानो नाम की एक प्रवाहिदा और शोक संतप्त मां से बेहतर कोई इसान की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता था। कुछ सल लेकिन हृदय विदारक शब्दों में उन्होंने लाखों गरीबों, मेदमाव से पीड़ित और उत्पीड़ित नागरिकों की स्थिति का सार प्रस्तुत किया। "मुझे बिना किसी डर के जीने का मेरा अधिकार वापस दो।" विलकिस बानो की कहानी है जो बताने और दारुणा सुनाने लायक है। 2002 में एक ट्रेन में आग लगाने के बाद गुजरात में हिंसा भड़क उठी थी। 21 वर्षीय विलकिस बानो शादीशुदा थी, उसकी 3 साल की बेटी थी और वह फिर से गर्भवती थी। हृदयसा में, पुरुषों की भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके बच्चे सहित उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। सह भाग्यशाली थी कि वह बच गई और अपनी कहानी बताई। उसके हमलावरों पर विशेष न्यायाधि, ग्रेटर मुंबई द्वारा मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 2008 के फैसले के अनुसार, 11 लोगों को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

15 अगस्त, 2022 को, प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, सुप्रीम कोर्ट ने मां की आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और रिहा किए गए 11 स्त्रीयों को सजा काटने के लिए जेल अधिकारियों



गुजरात सरकार ने आजीवन कारावास की शेष सजा माफ कर दी और 11 स्त्रीयों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए स्त्रीयों ने कोई पछाया नहीं दिखाया। उनका फूलमालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले दल में से कुछ लोगों ने श्रद्धा दिखाते हुए उनके पर धूप। एक ने कहा, "वे अच्छे संस्कार वाले ब्राह्मण हैं।" कट्टरदायक मुकदमा — भाग-2 न्यायालयों के बारे में है। 8 जनवरी, 2024 को, एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मां की आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और रिहा किए गए 11 स्त्रीयों को सजा काटने के लिए जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। यह कॉलम स्त्रीयों को मिला अनुचित राहत के बारे में नहीं है। यह जानूँ के शासन और कानून तथा मानवाधिकारों की परस्पर किया से संबंधित बड़े सवालों के बारे में है। न्यायालय ने कहा (और मैं केवल इस कॉलम से संबंधित अंश उद्धृत कर रहा हूँ) एक महिला चाहे कितनी भी ऊँची या नीची क्यों न हो, सामान की हकदार है। जांच एजेंसी ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि आरोपी का पता नहीं लगाया जा सका और उस क्लोजर रिपोर्ट को न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। इस न्यायालय ने मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया और जांच केंद्रीय जांच प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 की अपनी नीति के अनुसार समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता (रक्षेयशान शाह) के आवेदन पर विचार करें। 26-05-2022 को गुजरात राज्य की जेल सलाहकार समिति की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने सजा में छूट देने की सिफारिश की। सत्र न्यायाधीश, गोधरा ने दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

सफलता के लिए संकल्प, श्रम आवश्यक



—संजीव ठाकुर—

जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता के लिए मनुष्य को निरंतर कर्म की प्रवृत्ति रखकर संयम तथा मनोबल भी रखना होगा इसके अलावा मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास ना होकर उस पर नियंत्रण रख स्वामी बनने का प्रयास करना होगा तब सौची गई सफलता आपके सामने होगी।

कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विभ्रता, संयम और साहस के साथ ऊँचा रखना चाहिए अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के तब आपके सामने आएंगे स निराशा, हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलपूर्व ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

जीवन में उतार-चढ़ाव, कठिन समय और विषम परिस्थितियाँ आती ही रहती हैंस संकट का समय विषम परिस्थितियों जीवन के अलग-अलग पहलू हैं। इनसे जूझ कर जो मानव आगे बढ़ता है, वह उच्च मनोबल वाला सार्वभौम व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विभ्रताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का पूरा आनंदीयश्रम, कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाला व्यक्ति ही सफलता दिलाने वाली होती है।

मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से हार नहीं माननी चाहिए। उसे सदैव प्रयासरत रहकर प्रयास तथा जुड़ाव से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अपसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार, हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से सफल होने एवं उस पराजित मनोदशा से छुटकारा पाकर फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी



परिस्थितियों को जीतने का साहस होता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किसी भी परिस्थितियों से जुझना एवं ठकाने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निरंतरता होकर साहस, क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है की पीछे पड़कर उससे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शिवाय आगे बढ़ने एवं सफलता के लिए अपसर होने के। मनुष्य का मनोबल एवं दृढ़ प्रतिज्ञा ही मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक तथ्य और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है सकात्मक संच, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने और उल्लासित करती रहती है। सकात्मक संच एवं किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की सुनियोजित योजना मनुष्य में आशाओं को भर देती है एवं सफलता को चुनौती देने की क्षमता का विकास करती है। यह मनुष्य ही है जो हर परिस्थिति में साहस और मनोबल के दम पर उससे विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में यही फर्क है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए संकलित होता है और वह उसके सकारात्मक उपयोग के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य मुस्कृता, हंसा और खिलखिलाता है। जबकि पशु में मुस्कृते हंसने की क्षमता नहीं होती, और वही कारण है कि मनुष्य ने विषम परिस्थितियों पर सदैव विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, यह काफी हद तक सफलता पाने में सफल भी हुआ है। मनुष्य यदि परिस्थितियों में अन्य प्रतियोगिताओं में, खेल में, या युद्ध में पराजित होकर भी प्रेरणा लेकर

पुनः साहस के साथ पुनः लड़ता होता है तो वह आगे वाले समय में सफलता का सही हकदार भी होता है, क्योंकि उसने पूरी क्षमता, साहस, मनोबल के साथ पराजय को स्वीकार कर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। अपनी कमियों को दूर करने की हर संभव कोशिश भी की है। इस तरह वह अगली परीक्षा में जरूर सफल होता है और यही मानव जीवन का सफल अन्वय भी होता है। कुल मिलाकर परिस्थितियाँ तथा घटनाएं, दुर्घटनाएं मनुष्य को परिस्थितियों के सामने पराजित करने, युक्ताने की कोशिश करती है किंतु मानव अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक आत्मबल से उसे सफलता में बदल देता है। अनवरत प्रयासरत व्यक्ति अपने साहस प्रश्रम से हर चुनौतियों का सामना कर परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझ कर जो मानव सदैव सफल होता है वह पूर्व समुदाय और समाज के लिए एक प्रेरणादाई व्यक्ति बन कर पूरे समाज एवं देश को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

इसीलिए मनुष्य को किन्हीं भी परिस्थितियों में, खासकर विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल और साहस को त्यागना नहीं चाहिए। उच्च मनोबल और साहस की ऊर्जा ही मनुष्य को नई दिशा, नए प्रयाश पुंज की ओर अग्रसर करती है। "इसान का पहेला कर्म संपर्णों का सम्मान करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संपर्णों का सम्मान नहीं करना जानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं।" सफलता पाने के लिए आपको संपर्णों का सम्मान करना आना चाहिए, यही आपकी पहचान को बनाता है। यही श्रम के साथ लिए गए नियम ही आपको सफलता के सिंहासन पर

बैठाते हैं।" प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी, किसी न किसी चीज के लिए संपर्ण करना पड़ता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी खुद को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में जीवन एक संपर्ण है जो हमें अक्सर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने और सफलता को पाने के लिए प्रेरित करता है। यह संपर्ण ही होता है जो व्यक्ति को संवारा और निखाता है, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें उनके संपर्ण के लिए ही याद किया जाता है, जिस संपर्ण की आग में तपकर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करता है।

जीवन में सफलता का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिन्होंने अपने पैर लगातार हिलाती रहती है, इसलिए अपने संपर्ण की कभी किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। यदि आप जीवन से जुड़े संपर्ण से मांगते हैं तो निश्चित तौर पर आप नई मुसीबतों को योंता देंगे। व्यक्ति को समय-समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है।

‘हित एंड रन’ कानून : जागरूकता आवश्यक



—प्रो. मनोज डोगरा—

भारत देश एक लम्बी विरासत को समय के साथ लिए चल रहा है और विकास की गाथा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। समय के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार हर चीज में परिवर्तन प्रकृति का नियम है उसी प्रकार से देश में कुछ समय से पुराने कानूनों में संशोधन कर नए नियम बनाए जा रहे हैं जिनमें अब चर्चा में 'हित एंड रन' का नया कानून है। भारतीय न्याय संहिता में कई नए प्राधान्य जोड़े गए हैं और अपराध किए गए हैं जिनमें से एक प्राधान्य को लेकर देशभर में वाहन चालकों का विरोध जारी है। विशेषतः का कारण 'हित एंड रन' का नया कानून है, यानी एक्सीडेंट होने के बाद मांसे पर मिलने वाली सजा के निर्माण में बदलाव पर एक बहुत महत्व रखता है। 'हित एंड रन' दुर्घटना के बाद आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई चिकित्सा और कानूनी दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। कानूनी दृष्टिकोण से, वे इस बात पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं कि क्या आपको कोई मुआवजा मिल सकता है, और यदि हां, तो आप कितना मिलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण मामलों के अलावा, आपको यह जानना होगा कि हित एंड रन का दुर्घटना के बाद क्या करना है, हित-एंड-रन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है, और हित एंड रन का मतलब गाड़ी चलाते समय किसी व्यक्ति को मारना और संसर्ग को क्षति पहुंचा कर फिर मांग जाना है।

सिर्फ न केवलता का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिन्होंने अपने पैर लगातार हिलाती रहती है, इसलिए अपने संपर्ण की कभी किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। यदि आप जीवन से जुड़े संपर्ण से मांगते हैं तो निश्चित तौर पर आप नई मुसीबतों को योंता देंगे। व्यक्ति को समय-समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है।

भारत देश एक लम्बी विरासत को समय के साथ लिए चल रहा है और विकास की गाथा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। समय के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार हर चीज में परिवर्तन प्रकृति का नियम है उसी प्रकार से देश में कुछ समय से पुराने कानूनों में संशोधन कर नए नियम बनाए जा रहे हैं जिनमें अब चर्चा में 'हित एंड रन' का नया कानून है। भारतीय न्याय संहिता में कई नए प्राधान्य जोड़े गए हैं और अपराध किए गए हैं जिनमें से एक प्राधान्य को लेकर देशभर में वाहन चालकों का विरोध जारी है। विशेषतः का कारण 'हित एंड रन' का नया कानून है, यानी एक्सीडेंट होने के बाद मांसे पर मिलने वाली सजा के निर्माण में बदलाव पर एक बहुत महत्व रखता है। 'हित एंड रन' दुर्घटना के बाद आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई चिकित्सा और कानूनी दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। कानूनी दृष्टिकोण से, वे इस बात पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं कि क्या आपको कोई मुआवजा मिल सकता है, और यदि हां, तो आप कितना मिलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण मामलों के अलावा, आपको यह जानना होगा कि हित एंड रन का दुर्घटना के बाद क्या करना है, हित-एंड-रन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है, और हित एंड रन का मतलब गाड़ी चलाते समय किसी व्यक्ति को मारना और संसर्ग को क्षति पहुंचा कर फिर मांग जाना है।

सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण स्त्रीयों की पहचान करना और उन्हें सजा से दूर बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जब कानून ने उन्हें दौरी लहराया है। हित एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का न होना है। आमतौर पर, अपराधी को अपराध स्थल पर खड़ा करने के लिए कोई पुष्टा सबूत नहीं होता है। इससे पुलिस के लिए

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 की अपनी नीति के अनुसार समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता (रक्षेयशान शाह) के आवेदन पर विचार करें। 26-05-2022 को गुजरात राज्य की जेल सलाहकार समिति की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने सजा में छूट देने की सिफारिश की। सत्र न्यायाधीश, गोधरा ने दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

प्रतियोगी नंबर 3 ... (चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए। (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में, किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के

आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और सकारात्मक निर्णय दिया। समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय। गुह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 स्त्रीयों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दुर्बल थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्त्रीयों की सजा को बरकरार रखा।

सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय
प्रबन्धक सम्पादक-दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या-फैजाबाद कार्यालय-
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या-फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय-
आशियाना चौक, एल.डी.ए. कालोनी,
सेक्टर २८, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय-
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ईमेलbhartiyaabasti@yahoo.com
bhartiyaabasti@gmail.com